उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(लेखा परीक्षा)अनुभाग-1
संख्या-4/2019/आडिट-1-481/दस-2019-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री राणा प्रताप सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	वाराणसी	गाजीपुर
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	सोनभद्र	चन्दौली

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

बराती लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2019/आडिट-1-481(1)/दस-2019-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बराती लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।